Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर के राजेश कुमार एचसी नं. 171 को 10,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 1 जनवरी 2026, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **राजेश कुमार हैड कांस्टेबल नं. 171 पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर** को परिवादी से 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी सीकर को एक शिकायत इस आशा की मिली की परिवादी के भाईयों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 406/2025 में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में दिनांक 31.12.2025 को परिवादी से 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत पूर्व में प्राप्त कर शेष 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत की मांग करने तथा मांग के अनुसरण में आज दिनांक 01.01.2026 को परिवादी से 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी जयपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी राजेश कुमार एचसी नं. 171 पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर को परिवादी राजेश कुमार से 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।